बैंकों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

1982. **श्रीमती सुधा विजय जोशी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती पर पूर्ण रोक लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें हिन्दी अधिकारियों के वे पद भी शामिल हैं जिनके लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों तथा बैंकों द्वारा विभिन्न उम्मीदवारों को परीक्षा/साक्षात्कार के बाद चयन पत्र भेजे जा चुके हैं ;

(ग) चुने गए इन अधिकारियों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी न किए जाने के क्या कारण है ; और

(घ) सरकार भर्ती पर लगी इस रोक को कब तक हटाने और उन व्यक्तियों को जिन्हें हिन्दी अधिकारी पद के लिए चुन लिया गया है नियुक्ति पत्र जारी करने का विचार रखती है ताकि बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के काम में तेजी लाई जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा अपने कार्यालयों में भर्ती पर लगाया गया प्रतिबन्ध जून 1984 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू कर दिया गया । अलबत्ता प्रतिबंध के कार्यान्वयन में, बैंकों को शाखा विस्तार के सम्बन्ध में पदों के सृजन और भर्ती के लिए विशेष छूट दी जा रही थी, प्रतिबंध आदेश नई भर्ती से संबंधित थे और न कि सामान्य आन्तरिक पदोन्नति से । जनवरी 1987 से प्रतिबंध में ढील दे गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कुछ मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार बैंक हिन्दी अधिकारियों के पदों सहित अपने पदों को भर सकते हैं ।

Per capita deficit of each State

1983. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the per capita deficit of each State as on 31st March, 1986 and the measures taken to make good the deficit;

(b) whether there has been any improvement in the deficit of each State during the past three years and if so, the nature and extent thereof; and

(c) whether State Governments have represented to Government in this regard and also whether the Centre has approached the Sarkaria Commission to consider this aspect of Centre-State relations?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) and (b) A statement showing the adjusted cash balance of States as on 31.3.1984, 31.3.1985 and 31.3.1986 is laid on the table of the House. (*See* below) Five States had negative cash balance on 31.3.1986. However, since this was within the permissible ways and means limit fixed by the Reserve Bank of India, no measures were required to make good the deficit. The improvement in the deficit of States in 1985-86 is due to the strict enforcement of the Overdraft Regulation Scheme w.e.f. October, 1985 and the giving of a medium term loan of Rs. 1628 crores to clear over drats of States as on 28.1.1985.

(c) No Sir. The Central Government has not independently approached the Sarkaria Commission to consider this aspect of Centre-State Relations.